

न्यायालय:— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 201/2005

संस्थित दिनांक—03/10/2005

फाईलिंग नंबर—230303000072005

- 1— रामनिवास पुत्र रघुनाथ प्रसाद आयु 57 साल  
निवासी ग्राम पडावली थाना रिठौरा जिला मुरैना

म0प्र0

.....अभियोगी

वि रू द्ध

- 1— बैजनाथ पुत्र चन्द्रभान आयु 60 साल  
2— रमेश चन्द्र पुत्र चन्द्रभान आयु 66 साल  
3— बंटी उर्फ योगेन्द्र पुत्र बैजनाथ आयु 40 साल  
निवासीगण ग्राम पडावली थाना रिठौरा जिला मुरैना  
हाल—केशवकालोनी थाना सिटी कोतवाली मुरैना म0प्र0  
4— दामो उर्फ दामोदर पुत्र चन्द्रभान आयु 50 साल  
निवासी ग्राम पडावली थाना रिठौरा जिला मुरैना म0प्र0

.....आरोपीगण

(अभियोगी/राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।  
आरोपीगण द्वारा श्री आर0डी0 गुप्ता अधिवक्ता।

### —::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 29 दिसंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपी बैजनाथ के विरुद्ध धारा—307 भा0द0वि0 एवं शेष आरोपीगण रमेश चंद्र, बंटी उर्फ योगेन्द्र और दामो उर्फ दामोदर के विरुद्ध धारा—307/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप है, कि उन्होंने दिनांक 02/01/2000 को शाम करीब 07:15 बजे मालनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत पाना नादी के पुल के पास गुरीखा चौराहे के मोड़ पर अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहे, फरियादी रामनिवास उपध्याय को जान से मारने की नियत से आपस में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आरोपी बैजनाथ ने 315 बोर माउजर बंदूक से उसे गोली मारकर प्राणघातक उपहति कारित की, जिसमें शेष आरोपीगण ने उसके सामान्य आशय के अग्रसरण में सक्रिय सहयोग किया, जिसके कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के अपराध के दोषी होते।
2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है, कि आरोपी बैजनाथ, रमेशचंद्र, दामो उर्फ दामोदर आपस में सगे भाई हैं, बंटी उर्फ योगेन्द्र बैजनाथ का पुत्र है, तथा यह भी स्वीकृत है, कि आरोपी फरियादी के बीच पूर्व से जमीनी विवाद को लेकर रंजिश स्थापित है, यह भी स्वीकृत है, घटना के संबंध में फरियादी

रामनिवास द्वारा थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 पर की गई विवेचना पश्चात उसमें खत्मा प्रतिवेदन लगाया गया था, तत्पश्चात फरियादी रामनिवास द्वारा प्राईवेट परिवाद कर उस पर अपराध का संज्ञान लिया जाकर विचारण किया गया है, यह भी स्वीकृत है, कि आरोपीगण तथा फरियादी एक ही ग्राम पडावली थाना रिठौरा जिला मुरैना मध्यप्रदेश के निवासी है।

3. अभियोगी के मूल परिवाद मुताबिक घटना इस प्रकार बताई गई है, कि दिनांक 02/01/2000 को फरियादी रामनिवास धान की पियार लेने के लिए अपने स्वराज ट्रेक्टर ट्रौली से ग्राम सर्वा गया था, और ट्रेक्टर ट्रौली में धान की पियार भरकर शाम के करीब 6 बजे ग्राम सर्वा से स्वयं ट्रेक्टर को चलाते हुए, अपने गांव लौट रहा था, तब शाम करीब 07:15 बजे जब वह रास्ते में पाना नदी के पुल के पास पहुंचा तो स्कूटर पर आरोपी बैजनाथ उसका लडका बंटी तथा रमेश और दामू मोटरसाइकिल पर आए और पाना पुल से आगे पीछे होने लगे, बंटी स्कूटर चला रहा था, जिस ने ट्रेक्टर के आगे स्कूटर लगाकर ट्रेक्टर की चाबी खींच ली, बैजनाथ ने अपनी माउजर बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली मारी जो उसकी बांह में लगी, रमेश भी मोटरसाइकिल से आगे आकर बोला बच न पाए, और रमेश ने उसकी कमीज पकड़ी तो वह ट्रेक्टर की तरफ छिप गया, उसकी आरोपी बैजनाथ से चालीस-पचास हजार रुपए की रंजिश थी, जो वह मांगने पर कहता था, कि एक दिन हिसाब कर दूंगा, राहगीर आ गए थे, जिन्हें देखकर आरोपीगण भाग गए, फिर उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की गई थी, पुलिस ने धारा-307/34 भा0द0वि0 का अपराध दर्ज किया था, और उसे मेडीकल के लिए ग्वालियर जे0ए0एच0 अस्पताल भेजा था, जहां उसका इलाज हुआ था, किंतु उसके बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण उसे प्राईवेट परिवाद करना पडा है, इसलिए आरोपीगण को उक्त अपराध के लिए दण्डित किया जाए।
4. उक्त आशय की प्र0पी0-06 का प्राईवेट परिवाद रामनिवास की ओर से जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे जांच में लिया गया, धारा-200 एवं 202 दं0प्र0सं0 के तहत की गई जांच उपरांत जे0एस0एफ0सी0 आर0बी0एस0 यादव द्वारा दिनांक 20/09/05 को मामला धारा-307 भा0द0वि0 के अंतर्गत उपापित किया गया, जो माननीय सत्र न्यायाधीश सत्र खण्ड भिण्ड के अंतरण आदेश दिनांक 30/10/05 को विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ था।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त वैजनाथ के विरुद्ध धारा-307 भा0दं0वि0 एवं शेष अभियुक्तगण रमेश चंद्र, बंटी उर्फ योगेन्द्र और दामो उर्फ दामोदर के विरुद्ध धारा-307/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्तगण परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए पुरानी रंजिश पर से झूठा फंसाया जाना बताया है, तथा बचाव साक्ष्य देना व्यक्त करते हुए बचाव साक्षी के रूप में दिनेश शर्मा, निरीक्षक एम0एल0 शर्मा, आदिराम,

आशोक अर्गल, महेश शर्मा और रंजीत सिंह की साक्ष्य कराई है।

6. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-
1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02/01/2000 को फरियादी रामनिवास की हत्या के प्रयत्न का अपराध कारित करने के लिए आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया ?
  2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक को शाम करीब 07:15 बजे थाना मालनपुर के क्षेत्रांतर्गत पाना नदी के पुल के पास गुरीखा चौराहे के मोड़ पर फरियादी रामनिवास पर आरोपी बेजनाथ ने माउजर बंदूक से गोली मारकर हत्य का प्रयत्न कारित किया।
  3. क्या उक्त सुसंगत घटना में शेष आरोपीगण रमेश, दामो उर्फ दामोदर तथा बंटी उर्फ योगेन्द्र ने हत्या के प्रयत्न के उक्त अपराध में सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी बेजनाथ का सक्रिय सहयोग किया ?
  4. यदि हां तो दण्ड ?

--- निष्कर्ष के आधार ---

**नोट-** प्रकरण में प्रदर्श डी0-09 एवं प्रदर्श डी0-10 दोबार अंकित हो गए है, इसलिए भ्रम उत्पन्न न हो इसलिए एस0डी0ओ0पी0 एम0एल0 शर्मा ब0सा0-02 की जांच रिपोर्ट को प्रदर्श डी-9ए एवं एडीशनल एस0पी0 की जांच रिपोर्ट को प्रदर्श डी-10ए के रूप में पढा जा रहा है।

7. विचारणीय सभी बिन्दु एक ही घटना से संबंधित होकर एक दूसरे के पूरक है, इसलिए साक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो तथा सुविधा व सुगमता की दृष्टि से सभी का एक साथ विश्लेषण कर साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करते हुए निराकरण किया जा रहा है।
8. धारा-307 भा0द0वि0 के निराकरण के लिए जो विधिक रूप से अवयवों के प्रमाणित होने की अनिवार्यता है, उसमें :-
- 1- यह कि किसी, मानव की मृत्यु का प्रयत्न किया गया था,
  - 2- यह कि ऐसी मृत्यु कारित करने का प्रयत्न अभियुक्त द्वारा कारित कार्य या उसके परिणाम में था,
  - 3- यह कि ऐसा कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था, या शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया था, यथा
- क- जहां अभियुक्त जानता था, कि इससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, या
- ख- ऐसी चोटें प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।
9. यह विधिक रूप से आवश्यक है, कि उक्त संघटकों को विचार में लेते समय यह देखा जाए कि अभियुक्त ने ऐसी मृत्यु का प्रयत्न ऐसा कार्य करके किया था, जो इतना आसन्न संकट था और इसकी पूरी अधिसंभाव्यता थी, कि

(क) मृत्यु कारित कर ही देगा, या (ख) ऐसी शारीरिक चोट कारित कर देगा, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य हो, जैसा कि न्याय दृष्टांत **कुलामनी साहू विरुद्ध स्टेट ऑफ उडीसा 1994(3) काइंस पैज-250** में मार्गदर्शित किया गया है।

10. यह भी धारा-307 भा0द0वि0 के प्रकरण में देखना होता है, कि क्या आहत को बताई गई, चोटें धारा-300 भा0द0वि0 के प्रवर्ग, केटेगरी के अंतर्गत आती है, या नहीं क्योंकि धारा-307 भा0द0वि0 के अपराध के प्रमाणन हेतु चोटों का उक्त प्रवर्ग में आना आवश्यक है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **चन्द्रभान सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 (2011) आई0एल0आर0 बॉल्यूम-3 एम0पी0एन0ओ0सी0 79** में मार्गदर्शित किया गया है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अब्दुल बाहिर विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0-1980 सी0आर0एल0जे0एन0ओ0सी0-77** में यह प्रतिपादित किया है, कि धारा-307 भा0द0वि0 के मामले को समीक्षा में लेते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है, कि वह विधिक रूप से देखे कि अभियुक्त के विरुद्ध किस धारा यथा 307, 326, 325, या 324 भा0द0वि0 का मामला बनता है, और न्यायालय को जो मामला बनता हो उसी के विनिर्दिष्ट आधारों के तहत दोषसिद्ध करना चाहिए और जहां धारा-307 भा0द0वि0 के आवश्यक संघटकों की पूर्णता होती हो तो धारा-307 भा0द0वि0 में दोषसिद्धि कारनी चाहिए, विचाराधीन मामले में भी उक्त मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

12. प्रकरण में परिवादी की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर पेश की गई है, और बचाव पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें रंजिश का बिन्दु प्रमुखतः से उत्पन्न हुआ है, अर्थात् रंजिश का बिन्दु दोनों ही पक्ष लेकर आए है, ऐसी स्थिति में रंजिश के बिन्दु को भी मूल्यांकन के समय ध्यान में रखना होगा, कि वह किसी पक्ष को कोई लाभकारी है, या नहीं, क्योंकि रंजिश एक दोधारी तलवार की तरह होती है, जो दोनों तरफ से वार करती है, अर्थात् जहां एक ओर रंजिशन झूठा फसाए जाने की संभावना बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है, कि रंजिश के कारण ही घटना को अंजाम दिया गया हो, ऐसे में दोनों पहलुओं को विचार में लेना होगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याया दृष्टांत **रूली एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2002) एस0सी0सी0 (किमिनल) पेज 1837** में मार्गदर्शन दिया गया है।

13. सर्वप्रथम अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य का उपरोक्त संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए तो अभिलेख पर अभियोगी साक्षियों डाक्टर ए0के0 बोहरे अ0सा0-01 को परिवादी की ओर से परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 02/01/2000 को जे0ए0एच0 अस्पताल ग्वालियर के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए, पुलिस मालनपुर द्वारा आहत रामनिवास शर्मा को लाए जाने पर उसकी चोटों



का परीक्षण करना बताया है, जिसमें उसने फरियादी के शरीर पर निम्न चोटें प्राप्त हुई थीं, एक फटा हुआ घाव जिसकी माप 1.5 गुण 01 सेमी0 का मांसपेशियों तक जो कि अण्डाकार था और यह घाव बाईं भुजा के मध्य से पोस्टरी लेटरल भाग पर स्थित थी, घाव के किनारे अंदर की ओर थे और घाव के चारों ओर कालापन एवं स्कोचिंग उपस्थित थी, यह घाव प्रवेश घाव था, आहत को बाएं हाथ की एक्सरे की सलाह दी गई थी, दूसरी चोट भी फटे हुए घाव के रूप में थी, जिसकी माप 4गुणा3 सेमी0 गुणा मांसपेशियों की गहराई तक जो कि बाईं भुजा के इन्टीरी लेटरल के मध्य भाग पर स्थित था घाव के किनारे बाहर की तरफ थे वह घाव निकास घाव था, दोनों घाव अंदर की तरफ आपस में मिले हुए थे।

14. उक्त चिकित्सक अ0सा0-01 के द्वारा पाई गई चोटों की मेडीकोलीगल रिपोर्ट प्र0पी0-01 तैयार करना बताते हुए, दोनों चोटें परीक्षण से 06 घण्टे के अंदर पहुंचाई जाना प्रतीत होना कहा है और आग्नेयशस्त्र से पहुंचाई जाने का अभिमत दिया है, और बाएं हाथ के एक्सरे परीक्षण की सलाह देते हुए, रिपोर्ट तैयार करना कहा है, तथा चोटों की प्रकृति के बारे में थाना प्रभारी मालनपुर को दिनांक 14/03/2000 को पत्र के आधार पर चाही गई क्वेरी बाबत जो बिन्दु प्रस्तुत किया था, कि चोटें क्या स्वतः कारित हो सकती है, और बिन्दु क्रमांक 02 व 03 भी थे, जिससे संबंधित पत्र क्रमांक 79/मालनपुर/903/288 दिनांक 14/03/2000 प्रकरण में पेश नहीं किया गया है, इसलिए बिन्दु क्रमांक 02 व 03 क्या थे यह स्पष्ट नहीं है।

15. अ0सा0-01 ने क्वेरी पत्र के पालन में प्र0पी0-02 की क्वेरी रिपोर्ट देते हुए यह अभिमत देना बताया है, कि आहत की दोनों चोटों की स्थिति को देखते हुए वे स्वतः नहीं पहुंचाई जा सकती है और बिन्दु क्रमांक 02 व 03 का उससे संबंध नहीं है, उसके बाबत आकस्मिक चिकित्सा विभाग से संपर्क करके रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। उक्त क्वेरी रिपोर्ट दिनांक 16/03/2000 की है, प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में 17 वर्षीय चिकित्सकीय सेवा के अनुभव एवं एम0बी0बी0एस0 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उक्त चिकित्सक ने अपने अभिमत में सुझाव पर यह बताया है, कि आहत की बांह पर चोट पाई गई थी, जो शरीर में मार्मिक अंग नहीं है और भुजा जैसे शरीर के अंग पर आई चोट प्राणघातक नहीं हो सकती है, तथा उसने जिस आहत की चोटों का परीक्षण किया था। वह चोट प्राणघातक नहीं थीं, और उसके द्वारा जो एक्सरे परीक्षण की सलाह दी गई थी, और भेजा गया था, उसके बाद एक्सरे प्लेट व एक्सरे रिपोर्ट उसके सामने नहीं आई, इसलिए बिन्दु क्रमांक 02 व 03 के संबंध में कोई बात नहीं बता सकता और बिन्दु क्या थे, यह भी उसे याद नहीं है, पैरा-05 में यह स्वीकार किया है, कि आहत को जो दोनों चोटों आई थीं वे यदि अपने सहयोगी द्वारा स्वेच्छा से पहुंचाना चाहे तो संभव है, दोनों चोटों से रक्तश्राव होना संभावित बताया है, हालांकि मेडिको लीगल रिपोर्ट में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं होना स्वीकार किया है, यह भी स्वीकार किया है, कि रक्तश्राव का उल्लेख नहीं था, उक्त चोटों से यदि अत्यधिक रक्तश्राव हो तो मृत्यु हो सकती है।

16. इस प्रकार से उक्त चिकित्सक ए०के० बोहरे अ०सा०-०१ के द्वारा चिकित्सक के तौर पर जो साक्ष्य दी गई है, उससे उक्त साक्षी ने यह तो बताया है, कि घाव के चारों तरफ कालापन और स्कोचिंग थी, घाव नं०-०१ प्रवेश घाव था और घाव नंबर-०२ निकास घाव था, दोनों घाव अंदर की तरफ आपस में मिले हुए थे, उक्त चिकित्सक के मतानुसार चोटें आग्नेय शस्त्र से पहुंची थीं, और परीक्षण से ०६ घंटे के भीतर की थीं, और परिवादी के मूल परिवाद मुताबिक परिवादी रामनिवास अ०सा०-०४ के मौखिक अभिसाक्ष्य मुताबिक और प्र०पी०-०५ की एफ०आई०आर० मुताबिक घटना ०२/०१/२००० के शाम के ०७:१५ बजे की बताई गई है, प्र०पी०-०५ मुताबिक एफ०आई०आर० ०७:४५ बजे अर्थात् आधे घंटे बाद दर्ज की गई थी, घटनास्थल से थाने की दूरी ०३ किलोमीटर है, प्र०पी०-०१ एम०एल०सी० में परीक्षण का समय और दिनांक पृष्ठ के बाईं तरफ अंतिम भाग पर था, वह दस्तावेज १६ साल पुराना हो जाने से क्षतिग्रस्त होकर पठनीय नहीं रहा है, लेकिन जैसा कि अ०सा०-०१ का यह मत है, कि चोटें ०६ घंटे के भीतर की थी, जिसे चुनौती भी नहीं दी गई है, और ऐसे में चोटें बताई गई समयावधि की होना मानी जा सकती हैं। उक्त चिकित्सक के मतानुसार शारीर के मार्मिक अंग पर चोट न होने से प्राणघातक न होने की राय व्यक्त की है और वह राय इस कारण भी है, कि उक्त चिकित्सक के समक्ष एक्सरे प्लेट व एक्सरे रिपोर्ट अवलोकन के लिए व राय बाबत नहीं भेजी गई, जिनका अध्ययन कर उक्त चिकित्सक अपनी राय स्पष्ट कर सकता था।
17. इस प्रकार से ए०के० बोहरे अ०सा०-०१ के अभिसाक्ष्य मुताबिक फरियादी की चोटें आग्नेय शस्त्र की होकर शरीर के अमार्मिक अंग पर होने की पुष्टि होती है, साथ ही यह भी प्रमाणित होता है, कि चोट किसी आग्नेय शस्त्र की थी, चोट की प्रकृति के संबंध में अन्य उपलब्ध साक्ष्य, परिस्थिति और तथ्यों के आधार पर विचार करना होगा, क्योंकि बचाव पक्ष का यह आधार है, कि उन्हें परिवादी द्वारा जमीन संबंधी विवाद की रंजिश पर से झूठा फंसाया गया है, इसी तारतम्य में बचाव साक्ष्य भी उनकी ओर से पेश की गई है, जबकि परिवादी रामनिवास अ०सा०-०४ के मुताबिक जो उसने जमीन संबंधी सौदा कराया था, उसमें राशि उधार थी और उसी को लेकर विवाद के चलते घटना कारित किया जाना वह बताता है, इसलिए रंजिश के बिन्दु का आगे मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण करते समय मूल्यांकन किया जाएगा।
18. चिकित्सकीय साक्ष्य में डॉ० अचल गुप्ता जो कि ग्वालियर के मेडीकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर दिनांक २८/०३/२००० को पदस्थ थे, उन्होंने उक्त दिनांक को फरियादी रामनिवास की प्र०पी०-०३ की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए, उसकी चोटें साधारण प्रकृति की बताई है और यह कहा है, कि आहत रामनिवास जे०ए०एच० अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग से रेफर होकर उनके पास आया था और सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया था, उसकी बाईं बांह में बाहरी तरफ दो छोटे-छोटे घाव थे और जिस युनिट में वह भर्ती हुआ था, वहां इलाज हुआ था और उसने उसके केश पेपरों के आधार पर अपनी प्र०पी०-०३ की रिपोर्ट तैयार

की थी, जो दो छोटे-छोटे घाव उसने पाए थे, उनके बीच में कितनी दूरी थी, वे खड़े थे, या आड़े थे तथा किस अस्त्र शस्त्र से पहुंचाए थे, इस बारे में मत देने में असमर्थता व्यक्त की है और यह कहा है, कि आहत अस्पताल से अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर गया था।

19. अभिलेख पर अन्य कोई चिकित्सकीय साक्ष्य किसी भी रूप में पेश नहीं हुई है और जो चिकित्सकीय अभिमत है, उसमें दोनों ही चिकित्सक में से कोई भी आहत रामनिवास की चोटों को प्राणघातक होने का अभिमत नहीं देता है। अ0सा0-01 ने अवश्य आग्नेय शस्त्र की चोट कही है, अभिलेख पर ऐसी कोई भी रिपोर्ट भी पेश नहीं है, जो यह दर्शित करती हो, कि आहत को जो आग्नेय शस्त्र की चोट प्र0पी0-01 में बताई गई है, वह किस श्रेणी के आग्नेय शस्त्र की हो सकती है, इस संबंध में कोई रासायनिक विश्लेषण नहीं हुआ है, और शरीर की बांह अमार्मिक अंग होता है, इस बिन्दु पर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है, फरियादी पक्ष की ओर से भी इस बारे में कोई अन्यथा तर्क नहीं किया गया है, इसलिए यह भी स्पष्ट होता है, कि आहत रामनिवास को जो चोटें पहुंचाई वह शरीर के अमार्मिक अंग पर थी, जिसे चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर तो प्राणघातक नहीं माना जा सकता है, बल्कि उपलब्ध साक्ष्य मुताबिक वह साधारण उपहति की श्रेणी की है। मौखिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह और देखना होगा, कि क्या आहत रामनिवास की चोट धारा-300 भा0द0वि0 के संवर्ग में आता है, तथा शेष साक्ष्य से ऐसा प्रमाणित हो कि चोट धारा-300 भा0द0वि0 के प्रवर्ग की है, तभी धारा-307 भा0द0वि0 आकर्षित होगी अन्यथा नहीं।

20. चिकित्सक के उपरोक्त वर्णित साक्ष्य से यह तो स्पष्ट होता है, कि आहत रामनिवास को पाई गई चोटें आग्नेय शस्त्र की थी, डाक्टर ए0के0 बोहरे अ0सा0-01 ने प्रवेश घाव जो कि बाईं भुजा के मध्य के पोस्टरी लेटरल भाग पर पाना बताया है और उसमें कालापन, स्कोचिंग थी, अर्थात् गोली काफी नजदीक से मारी गई होगी, ऐसे में अन्य साक्ष्य से यह देखना होगा कि क्या बताई गई घटना प्रमाणित होती है, क्योंकि तर्कों में अभियोगी अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है, कि 315 बोर की बंदूक करीब ढाई-तीन फिट की होती है और सामने से मारने पर हाथ आगे करने की दशा में एक-डेढ़ फिट ओर बढ़ जाता है, इसलिए अभियोगी रामनिवास के द्वारा जो पांच-छः फिट की दूरी बताई है, वह संदेह उत्पन्न नहीं करती है। परिवादी के अभिसाक्ष्य की आगे विवेचना होगी।

21. इस संबंध में विश्वसनीयता देखी जाएगी, न्याय दृष्टांत रमेश बाबूराव देवास्कर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 (4) काइमंस पेज 140 एस0सी0 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है, कि एफ0आई0आर0 कोई भी व्यक्ति करा सकता है, और वह अनुसंधान करने का आधार हो जाती है, किंतु घटना घटित होने का वह प्रमाण नहीं होती है, बल्कि घटना को संदेह के परे प्रमाणित करना होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है, कि अनेक अवसरों पर एफ0आई0आर0

देहाती नालसी पर से आधारित होने की दशा में उसके विवरण को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, उक्त न्याय दृष्टांत के आधार पर धारा-157 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों का पालन आज्ञापक बताते हुए, यह भी मार्गदर्शन दिया है, कि एफ0आई0आर0 की प्रति निकटतम मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर पहुंचाई जानी चाहिए, बचाव पक्ष की ओर से धारा-157 दं0प्र0सं का प्रकरण में कोई पालन न होने का भी आधार लिया है, चूंकि मामला परिवाद पर आधारित है और जो एफ0आई0आर0 प्र0पी0-05 की दर्ज की गई थी, उस पर से अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया है, ऐसे में उक्त प्रावधान के पालन न होने का आधार नहीं लिया जा सकता है, किंतु यह अवश्य है, कि परिवाद में जो घटना बताई गई है, उसे युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होगा और चिकित्सकीय साक्ष्य में परिवादी को आई चोटें आग्नेय शस्त्र की होने के आधार ऐसी उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, कि वे आरोपीगण द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा ही पहुंचाई गई होंगी।

22. जहां तक प्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रश्न है, प्र0पी0-06 के लिखित परिवाद के विवरण में किसी साक्षी का नाम नहीं आया है, बल्कि पद-02 में घटना के समय रास्तागीरों के आ जाने पर उन्हें देखकर आरोपीगण का भाग जाना बताया है, परिवाद के साथ जो साक्ष्य सूची पेश की गई है, उसमें जसवंत सिंह सिकरवार निवासी चार शहर का नाका ग्वालियर और अनिल मूल निवासी एण्डोरी हाल निवासी आदर्श कॉलोनी ग्वालियर को घटना का साक्षी बताया गया है, प्र0पी0-05 की जो एफ0आई0आर0 थाना मालनपुर में दर्ज की गई थी, उसमें भी रास्तागीर के आने पर उन्हें देखकर आरोपीगण का भाग जाना उल्लेखित किया गया है, अर्थात् दोनों ही स्थिति में साक्षियों का स्पष्ट विवरण नहीं है, कि कौन घटना का चक्षुदर्शी साक्षी था, चूंकि मामला प्राइवेट परिवाद पर आधारित है, ऐसे में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने की आवश्यकता इस आधार पर भी हो जाती है, कि उभय पक्ष के माध्य स्वीकृत तौर पर पुरानी रंजिश है, जिसमें रूपयों के लेनदेन जमीनी विवाद पर से होने के अलावा अभियोगी को आरोपी पक्ष द्वारा बलात्संग के झूठे मामले में फंसाने की रंजिश भी बताई गई है।

23. आरोपीगण के द्वारा बताई गई घटना के समय घटनास्थल पर न होकर अन्यत्र होने (Plea of Alibi) का भी आधार लिया गया है, जिसके मद्देनजर मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा, जसवंत सिंह जिसका कि परिवाद में जांच के दौरान धारा-202 दं0प्र0सं0 के तहत अभिकथन कराया गया था, उसे आरोप पूर्व या पश्चात साक्ष्य में पेश नहीं किया था, बल्कि उक्त साक्षी की ओर से तो पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने से इन्कार करते हुए, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का कथन कराने एवं कथन पर हस्ताक्षर से इन्कार करते हुए, परिवाद में से उसका नाम हटाए जाने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में उक्त साक्षी के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 14/10/11 के विरुद्ध आपराधिक अपील की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा



अपील क्रमांक 995/11 में आदेश दिनांक 05/12/13 को आदेश पारित कर पुनः सुनवाई का अवसर सभी पक्षों को देते हुए, जांच कर उक्त साक्षी के आवेदनपत्र का विधि अनुसार निराकरण करने का निर्देश दिया था, जो आवेदन साक्षी जसवंत सिंह की ओर से धारा-340(1) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियोगी रामनिवास के विरुद्ध पेश किया था, जिसका निराकरण एम0जे0सी0 क्रमांक 42/14 में दिनांक 02/08/16 को आदेश पारित करते हुए, जसवंत सिंह का आवेदन निरस्त किया था, जिसमें यह निष्कर्षित किया गया है, कि साक्षी जसवंत सिंह के पुलिस कार्यवाही दौरान के कथन और जांच के दौरान के कथन के हस्ताक्षरों में समानता दर्शित होती है, जिससे उसके द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-340(1) दं0प्र0सं0 में दर्शाए गए तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है और इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, आरोपी पक्ष से मिलकर या उनके प्रलोभन में आकर उसके द्वारा आवेदन पेश किया गया हो, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है, कि जसवंत सिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके धारा-202 दं0प्र0सं0 के जांच कथन कराए गए।

24. इस प्रकार से अभियोगी के कथनक का समर्थन जसवंत सिंह द्वारा अभिलेख पर नहीं है, क्योंकि वह परीक्षित नहीं हुआ है। दूसरा साक्षी अनिल शर्मा अ0सा0-05 है, इसके अलावा अभियोगी की ओर से भूपसिंह शर्मा अ0सा0-03 के रूप में पेश किया गया है, जो पुलिस की जांच के दौरान साक्षी के तौर पर सम्मिलित किया गया था, जिसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आरोपीगण व अभियोगी को जानने, पहचानने और घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इन्कार कर कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-04 का कथन भी पुलिस को देने से इन्कार किया है, जिसमें उसकी स्थिति इस प्रकार बताई गई थी, कि वह दिनांक 02/01/2000 को अपने घर से अकेला साइकिल से शाम के करीब 06:00 बजे मालनपुर फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए घर से चला था, क्योंकि वह फ्लेक्स फैक्ट्री में काम करता था, इसके अलावा उसने पुलिस कथन प्र0पी0-04 में भी उक्त दिनांक को रास्ते में गुरीखा के पास किसी को घायल अवस्था में देखने और पुलिस को बयान देने से मना किया था, इस प्रकार से अ0सा0-03 महत्वहीन साक्षी है, और उससे कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।

25. कथानक में बताए गए मौके के साक्षी अनिल शर्मा अ0सा0-05 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण व अभियोगी को घटना के काफी पूर्व से जानने, पहचानने की बात बताते हुए, यह कहा है, कि वह घटना के समय ड्रायवरी करके जीप से सवारियों को ढोने का धंधा करता था और वह घटना के समय सिरिया सिंह गुर्जर की जीप क्रं0-एम0पी0-07-8085 को चलाता था, उसने दिनांक 05/03/15 को दिए अभिसाक्ष्य में घटना 13-14 साल पुरानी बताते हुए, यह कहा है, कि उस समय वह जीप लेकर मेहगांव से ग्वालियर आ रहा था, रास्ते में गुरीखा चौराहे पर भीड़-भाड़ थी, जाम लगा था, जिसके कारण सब गाड़ियां रुक गई थीं, वहीं पर ट्रेक्टर खड़ा हुआ था, जिसमें धान की पियार भरी थी, उसके मुताबिक दामो और बंटी बगैराह से

रामनिवास की झूमाझटकी हो रही थी, उस पर रामनिवास को बैजनाथ ने गोली मार दी थी, जो रामनिवास के दाहिने हाथ में लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा था, इसके बाद आरोपीगण मोटरसाइकिल व स्कूटर से दूसरी तरफ चले गए थे, वहां पर एमएट्टी स्कूटर वाला और दो साईकिल वाले खड़े थे, फिर वहां कार भी आ गई थी, जाम खुलने पर वह ग्वालियर चला गया था, घटना के बारे में उसने पूर्व में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी कथन देना बताया है।

26. इस प्रकार से अनिल शर्मा अ0सा-05 मुख्यपरीक्षण में पूरी घटना प्रारंभ से देखना बताता है, किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य को मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनःपरीक्षण के समग्र मूल्यांकन से ही विश्वसनीयता के बिन्दु को निष्कर्षित किया जा सकता है, इस दृष्टि से उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों को देखा जाए तो, उसके पैरा-03 मुताबिक वह घटना वाले दिन सुबह करीब 07:00 बजे, गोले के मंदिर ग्वालियर से सवारी भरकर मेहगांव के लिए चला था और मेहगांव से करीब 01:00 बजे ग्वालियर वापिस आ गया था, उसके बाद ग्वालियर से सवारी भरकर मेहगांव के लिए दुबारा गया था और मेहगांव से सवारी भरकर ग्वालियर के लौट रहा था, तब गुरीखा चौराहे पर घटना हुई थी, पैरा-04 मुताबिक उसकी बहिन शीला और लीला है, जिनमें से लीला ग्राम कुंहार मेहगांव में और शीला ग्राम बहांगी में ब्याही है, उसके भाई सुनील की ससुराल ग्राम मिरघान जिला मुरैना में है, पैरा-05 मुताबिक अभियोगी रामनिवास को वह कई वर्षों से सवारी के रूप में उसकी गाड़ी से आने-जाने के आधार पर जान-पहचान होना बताता है, कोई रिश्तेदारी नहीं है।

27. अनिल शर्मा अ0सा0-05 मुताबिक एमएट्टी वाला ग्राम भदरोली में दूध की डेयरी करने वाला था, जो उसके बाद मौके पर आया था, साईकिल वाला कौना था, कार वाला कौन था, इसके बारे में उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य नहीं आया है और वह मौके पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से स्वयं को बताता है, दूसरी ओर वह रास्ते में भीड़-भाड़ होकर जाम लगे होने की बात भी कहता है, यदि उक्त साक्षी भीड़-भाड़ और जाम लगे होने की स्थिति में मौके पर पहुंचा हुआ माना जाए तो वह निश्चित तौर पर पीछे की ओर रहा होगा, ऐसे में उसने पूरी तरह से घटना को देखने की जो मुख्यपरीक्षण में बात बताई है, कि पहले आरोपीगण ने रामनिवास से झूमा झटकी की, फिर बैजनाथ ने गोली मारी, यह स्वभाविक नहीं लगता है, कथानक मुताबिक, चिकित्सकीय साक्ष्य मुताबिक और परिवाद मुताबिक रामनिवास के बाईं भुजा में गोली लगी, जबकि उक्त साक्षी दाएं हाथ के बाजू में बताता है और वह पैरा-06 में भी इस बात पर दृढ़ है, कि रामनिवास के दाएं हाथ के बाजू पर बैजनाथ ने फायर किया था, और दाहिने हाथ में बाजू के पास लगा था, और ऐसा वह मजिस्ट्रेट को दिए अभिसाक्ष्य में भी बताना कहता है, जबकि प्र0डी0-06 में गोली रामनिवास को कहां लगी थी, ऐसा अंकित नहीं है, प्र0डी0-06 में बगल से बैजनाथ द्वारा गोली मारना बताया गया है, और उक्त साक्षी पैरा-07 में बाएं हाथ की तरफ खड़े होकर गोली मारना की बात कही है, और दाहिने हाथ में गोली लगना कहता है, यह अपने-आप में संदेह उत्पन्न करता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता घट जाती है, इस बात की

भी चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि पोस्टरी लेटरल भाग पर प्रवेश घाव बताया गया है।

28. अनिल अ0सा0-05 के पैरा-06 मुताबिक गोली बाजू के पास अंदर से कांख के नीचे लगी थी और बाहर की तरफ निकल गई थी, फिर वह यह भी कहता है, कि उसने ज्यादा खोलकर नहीं देखा था, कि कहां से निकली क्योंकि ज्यादा खून निकल रहा था, वह पुलिस कथन प्र0डी0-07 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है, जिसमें बाएं हाथ की भुजा में गोली लगने का उल्लेख आया है, जिसे वह लिखाने से इन्कार करता है, इस सक्षी के प्र0डी0-08, प्र0डी0-09 एवं प्र0डी0-10 के पुलिस कथनों में भी बाएं हाथ के बाजू में गोली लगने का उल्लेख है, जिनके बारे में वह यह कहता है, कि उसे याद नहीं है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है, कि घटना वाले दिन वह हेमंत शर्मा निवासी जीवाजी गंज लश्कर ग्वालियर की जीप क्रमांक एम0पी0-07-एच-7737 को चला रहा था, जैसा कि प्र0डी0-09 में अंकित है।

29. अनिल अ0सा0-05 ने पैरा-07 में यह भी कहा है, कि जब वह मौके पर पहुंचा था तो दो साइकिल वाले और मिले थे, जिनके वह नाम नहीं जानता, जबकि प्र0डी0-09 के पुलिस कथन में यह उल्लेखित है, कि जब वह पहुंचा तो वहां अन्य कोई नहीं था, यह बात भी वह पुलिस को बताने से इन्कार करता है, उसके मुताबिक चार-पांच कदम की दूरी से गोली मारी गई, जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य मुताबिक कम दूरी होनी चाहिए, यदि ऐसा माना जाए कि 315 बोर की माउजर बंदूक की लंबाई और सामने हाथ को आगे करते हुए उपयोग करने की दशा में दूरी कम बचेगी, तो ऐसी स्थिति में शरीर के जिस अंग पर गोली लगी है, वहां लगना स्वभाविक नहीं है, क्योंकि अत्यंत निकटता से निशाना चूकने की संभावना नगण्य हो जाती है, इससे भी साक्षी की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है।

30. अनिल अ0सा0-05 ने पैरा-08 में ग्राम पडावली के पप्पू नामक व्यक्ति को पहिले से जानने से इन्कार किया है, फिर कभी-कभी उसकी जीप से आने जाने से जानना कहा है, यह भी स्वीकार किया है कि पप्पू को देवेन्द्र के नाम से भी जानते हैं, पप्पू की रिश्तेदारी ग्राम बहांगी जहां उसकी बहिन शीला ब्याही है, वहां होने के बारे में जानकारी का अभाव बताया है, जबकि प्र0डी0-10 के कथन में पप्पू की रिश्तेदारी ग्राम बहांगी में होना और रामेश्वर पाठक पप्पू के मामा होने तथा फरियादी रामनिवास का चचेरा भाई होने का उल्लेख है, ऐसे में उक्त साक्षी की परिवादी से हितबद्धता दर्शित होती है, साक्षी के द्वारा पैरा-09 में इस बात को भी स्वीकार किया गया है, कि उसने प्रकरण में आवेदनपत्र के साथ शपथपत्र भी पेश किया था, जिस पर उसका छायाचित्र लगा है, जो वह राजीनामा हो जाने के कारण देना भी कहता है और आवेदन व शपथपत्र में घटना का खण्डन आरोपीगण के संबंध में किया गया है, जो अभिलेख का अंग है और न्यायालयीन अभिलेख की न्यायिक अभीक्षा (Judicial Notice) साक्ष्य अधिनियम की धारा-57 के तहत न्यायालय कर सकता है, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी जिसके प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न तरह के कथन आए हैं और वह

समझौते के आधार पर अपने कथन के तथ्यों से मुकर जाता है, ऐसे साक्षी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि यदि उक्त साक्षी अनिल शर्मा जो कि पेशे से ड्राइवर है, और अपनी किसी भी पक्ष से हितबद्धता को उजागर नहीं करता है, वह वास्तव में पूरी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी था तो उसका प्र०पी०-05 की एफ०आई०आर० में उल्लेख आना चाहिए था, यदि यह माना जाए कि तत्समय परिवादी की गोली लगने से मनःस्थिति विचलित थी तो उसके द्वारा विधिक सलाह लेते हुए प्र०पी०-06 का परिवाद किया गया, उसमें स्पष्ट नाम आना चाहिए था, न कि रास्तागीर के रूप में जबकि उसे साक्ष्य सूची में परिवादपत्र के साथ शामिल किया गया था, उसे रास्तागीर के रूप में निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में शामिल करने की परिवादी की मनःस्थिति प्रकट होती है, जबकि वह हितबद्धता रखता है, और उसके बावजूद वह प्रत्येक बिन्दु पर विसंगतिपूर्ण साक्ष्य देता है, ऐसे साक्षी को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

31. साक्षी की विश्वसनीयता के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांत **कालीचरण विरुद्ध स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1974 किमिनल अपील रिपोर्टर पेज-01** को पेश किया गया है, जिसमें यह मार्गदर्शित किया गया है, कि यदि साक्षी घटना घटित होने के बाद दो महीने तक चुप रहता है और बाद में घटना का वृत्तांत बताता है, तो ऐसी साक्ष्य का विधिक मूल्य खो जाता है और यह मार्गदर्शित किया गया है, कि अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध कथनों का धारा-162 दं०प्र०सं० के तहत उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि प्र०डी०-06 लगायत प्र०डी०-10 के उक्त साक्षी के कथन हैं, जिनमें तात्त्विक विसंगतियां हैं, ऐसे में उक्त साक्षी को अविश्वसनीय साक्षी ठहराया जाएगा और उससे कथानक के किसी तथ्य की प्रमाणिकता को बल प्राप्त होना नहीं माना जा सकता है, जैसा कि अभियोगी पक्ष की ओर से तर्कों में निवेदन किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

32. यह सही है, कि दाण्डिक विचारण में साक्षियों की संख्या महत्व नहीं रखती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **नंदराम एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० आई०एल०आर० (2011) एम०पी० पैज-439** में मार्गदर्शित है, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 में भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है, कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या उपेक्षित नहीं होगी, और चूंकि वर्तमान मामला निजी परिवाद पर आधारित है, ऐसे में परिवादी व आहत रामनिवास घटना का सार्वधिक महत्व का साक्षी हो जाता है, और आहत साक्षी के बारे में यह सुस्थापित विधि है, कि वह घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति की इनबिल्ट गारंटी रखता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **अब्दुल सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी०-(2010)10 एस०सी०सी० पैज-259** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तथा न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजन सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए०आई०आर० 2011 एस०सी० पैज-2552** में आहत साक्षी के संबंध में यह प्रतिपादित है, कि आहत साक्षी की



साक्ष्य पर जब तक विश्वास किया जाना चाहिए, तब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के मजबूत आधार अभिलेख पर न हों।

33. इस दृष्टि से आहत रामनिवास अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन प्रकरण में करना होगा, क्योंकि एफ0आई0आर0 लेखक और मौके की कार्यवाही करने वाले सेवा निवृत्त निरीक्षक जगराम सिंह अ0सा0-06 ने अपने अभिसाक्ष्य में औपचारिक रूप से इस आशय की साक्ष्य दी है, कि दिनांक 02/01/2000 को वह थाना मालनपुर में थाना प्रभारी था, उस दिन फरियादी रामनिवास ने थाने आकर आरोपीगण के विरुद्ध जान से मारने की नियत से माउजर बंदूक से पाना पुल के पास उसकी बांह में गोली मारने के संबंध में रिपोर्ट कराई थी, जिस पर से उसकी प्र0पी0-05 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना बताते हुए, घटनास्थल पर जाकर अनुसंधान के दौरान प्र0पी0-07 का नक्शा मौका तैयार करना और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना बताए है, जिनमें उसके द्वारा भूपसिंह शर्मा, जसवंत सिंह, अनिल कुमार, अशोक सिंह जादौन और रामनिवास के कथन लेखबद्ध किए गए थे, जिनके आधार पर धारा-307/34 भा0द0वि0 का अपराध होना पाए जाने का कथन किया है।

34. जगराम सिंह अ0सा0-06 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-02 में केशडायरी 02/01/2000 से मई 2000 के बीच अपने पास रहना बताते हुए, यह कहा है, कि फरियादी थाने पर ट्रेक्टर से आया था, या पैदल आया था, यह वह बिना रिपोर्ट देखे नहीं बता सकता है और अपनी कार्य पद्धति के बारे में उसने यह भी कहा है, कि यदि कोई फरियादी रिपोर्ट में किसी वाहन से आना लिखाता है, तो वह उसके बाताने पर विवरण में लिखता है, प्र0पी0-05 में फरियादी किस साधन से आया इसका उल्लेख नहीं है, अकेला आना बताया था, उसने फरियादी रामनिवास को घाव देखकर मेडीकल परीक्षण के लिए भेजा था, किंतु कपड़ा आदि बांधा था, या नहीं यह उसे लंबा समय हो जाने से याद नहीं है, लेकिन घाव से खून निकल रहा था, क्या कपड़े पहने था, उसे यह भी याद नहीं है। उसने कपड़ों को जब्त करने के लिए डाक्टर को लिखा था, किंतु डाक्टर ने कपड़े जब्त किए या नहीं, उसे पता नहीं है, डाक्टर द्वारा जब्त किए गए कपड़ों की जब्ती अन्य पुलिसकर्मी द्वारा बनाई गई थी, जबकि प्रकरण में आहत रामनिवास के कोई कपड़े चिकित्सक द्वारा जब्त किया जाना नहीं बताया गया है, न ही कोई जब्तीपत्र प्रकरण में पेश किया गया है और कपड़ों के संबंध में फरियादी रामनिवास अ0सा0-04 के पैरा-16 मुताबिक शर्ट पहने होने की बात बताई है, क्योंकि वह आरोपी रमेश के द्वारा शर्ट पकड़कर खींचना और जमीन पर गिर जाना बताता है, प्र0पी0-05 की एफ0आई0आर0 में और प्र0पी0-06 के लिखित परिवाद में आरोपी के द्वारा कमीज पकड़ना बताया गया है, अर्थात् बताई गई घटना के वक्त परिवादी रामनिवास का कमीज या शर्ट पहने होना इससे प्रकट होता है, लेकिन कोई भी रक्तरंजित वस्त्र की जब्ती नहीं है, उक्त एफ0आई0आर0 लेखक और विवेचक को यह जानकारी तक नहीं है, कि फरियादी किस साधन से आया, अकेला आना वह बताता है, एफ0आई0आर0 के लिए फरियादी थाने कैसे पहुंचा, यह अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते

समय देखा जाएगा, लेकिन चोट से खून निकलने की बात चिकित्सकीय साक्ष्य में भी आई है, गोली लगने पर खून निकलना स्वभाविक है, ऐसे में खून निकलने के तथ्य को उपधारित किया जा सकता है।

35. घटनास्थल का प्र०पी०-०७ का नजरी नक्शा विवेचक जगराम सिंह अ०सा०-०६ द्वारा फरियादी रामनिवास की निशांदेही पर तैयार करना बताया गया है, उसमें घटनास्थल पर कोई खून पड़ा हो या गोली के अवयव या छर्रे मिले हों, ऐसी कोई साक्ष्य संकलित नहीं हुई है और रामनिवास अ०सा०-०४ तो पैरा-१३ में उसके सामने पुलिस द्वारा कोई नक्शा बनाने से इन्कार करता है, चोट से खून निकलना बताता है, किंतु घटनास्थल पर गिरा या नहीं गिरा, यह उसने नहीं देखा, उसके मुताबिक पुलिस थाना मालनपुर की पुलिस, घटना के बाद मौके पर आ गई थी, और उसे जीप में बिठाकर थाने ले गई थी, तब उसने रिपोर्ट लिखाई थी, वह अनिल शर्मा की जीप से थाने जाने की बात से इन्कार करता है, जिससे रिपोर्ट को फरियादी अकेला थाने आया, ऐसा अ०सा०-०६ का कथन विरोधाभासी हो जाता है, जबकि रामनिवास अ०सा०-०४ के द्वारा धारा-२०० द०प्र०सं० के तहत दिया गया प्र०डी०-०३ का जांच कथन खण्डन करता है, जिसके ए से ए भाग में अनिल शर्मा द्वारा अपनी जीप में बैठकर मालनपुर थाने ले जाने की बात आई थी, हालांकि अनिल अ०सा०-०५ अपने अभिसाक्ष्य में रामनिवास को थाने ले जाने की पुष्टि नहीं करता है, इससे प्र०पी०-०७ के नक्शा मौके की पुष्टि फरियादी से नहीं हो रही है, इससे निरीक्षक जगराम सिंह अ०सा०-०६ का अभिसाक्ष्य औपचारिकता पूर्ति मात्र रह जाता है, क्योंकि उसे यह तक जानकारी नहीं है, कि आहत क्या कपड़े पहने था, और मौके पर खून गिरा या नहीं और कपड़ों में लगा या नहीं, उसके द्वारा अपने अनुसंधान में जो कथन लिए गए, उसके बारे में ऐसी विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि अनिल शर्मा अ०सा०-०५ प्र०डी०-०८ का कथन विरोधाभासी पाया गया है, फरियादी रामनिवास के पुलिस कथन प्र०डी०-०२ के ए से ए भाग को उक्त विवेचक फरियादी के कहने पर लिखाना कहता है, जबकि रामनिवास अ०सा०-०४ प्र०डी०-०२ के ए से ए भाग को लिखाने से पैरा-१२ में इन्कार करता है।

36. जगराम सिंह अ०सा०-०६ ने पैरा-०५ में यह भी स्वीकार किया है, कि उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना किए जाने के दौरान आरोपीगण के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक भिण्ड के निर्देश अनुसार केश डायरी एस०डी०ओ०पी० मेहगांव मोहन लाल के सुपुर्द की गई थी, हालांकि पैरा-०६ में इस बात से इन्कार करता है, कि उसके द्वारा विधि के विरुद्ध तरीके से अनुसंधान किया गया था, इस कारण विवेचना अन्य पुलिस अधिकारी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सुपुर्द की गई थी, हालांकि वह आरोपीगण के द्वारा बचने के लिए झूठी शिकायत करना कहता है, किंतु इस बात की तो स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुसंधान उक्त विवेचक से लिया जाकर दूसरी तहसील के एस०डी०ओ०पी० को सौंपा गया, इसलिए शिकायत झूठी थी, ऐसा मानने का आधार नहीं है और इससे भी अ०सा०-०६ की अभिसाक्ष्य कोई महत्व नहीं रखती है, इसलिए उसकी अभिसाक्ष्य

से किसी तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, बल्कि घटनास्थल से कोई वस्तु की बरामदगी न करना और आहत रामनिवास का मेडीकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक को रक्तरंजित कपड़ों की जब्ती करने हेतु लिखे जाने का कोई प्रमाण अभिलेख पर न होना विवेचना की गंभीर त्रुटि की श्रेणी में आता है, क्योंकि मौके की साक्ष्य आक्षेपित मामले के अपराध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। घटनास्थल से रक्तरंजित धातु का भाग, सादा भाग रक्तरंजित अन्य वस्तुएं गोली के छर्रे आदि मिलना महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है, जिसका प्रकरण में अभाव है, हालांकि मामला प्राइवेट परिवार पर आधारित होकर, उस पर से ही अपराध का संज्ञान लिया गया था, इसलिए तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण न किया जाकर साक्ष्य, तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे, इस दृष्टि से भी रामनिवास अ0सा0-04 जो कि प्रकरण में अब एक मात्र साक्षी मूल्यांकन के लिए शेष है, उसके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा और यह देखना होगा, कि क्या उसके अभिसाक्ष्य में विश्वसनीयता है, जो विचाराधीन आरोप को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, अथवा नहीं ? क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से रंजिश झूठा फसाए जाने का आधार लेते हुए और घटना के समय अपनी अपनी उपस्थिति अन्यत्र बताते हुए दोषमुक्ति की प्रार्थना की गई है।

37. प्रकरण का सर्वाधिक महत्व का साक्षी परिवादी/आहत रामनिवास अ0सा0-04 है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में मुख्यपरीक्षण में यह बताया है, कि घटना जनवरी के महीने की होकर शाम के समय की है, सर्दी का मौसम था, वह अपने गांव पडावली से ट्रेक्टर, ट्रौली से ग्राम सर्वा धान की पियार भरने गया था और शाम करीब छः सवा छः बजे पियार भरकर ग्राम सर्वा से अकेला ही ट्रेक्टर से चला था और पाना नदी के पुल के पास पहुंचा था, तब बंटी एवं बैजनाथ स्कूटर से एवं रमेश और दामोदर मोटरसाइकिल पर आए थे और उसके ट्रेक्टर के आगे पीछे होने लगे थे, फिर बंटी ने अपने स्कूटर को ट्रेक्टर के आगे लगा दिया था और ट्रेक्टर पर आकर ट्रेक्टर की चाबी खींच ली थी और ट्रेक्टर बंद कर दिया था और फिर बैजनाथ ने 315 बोर की बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली मारी थी, जो बाएं हाथ के कंधे के नीचे लगी थी, साक्षी ने साक्ष्य में अपनी चोट भी दिखाई जिसमें पुरानी रगड़ वाली चोट का घाव रहा है, इस आशय का नोट भी साक्षी की कथन शीट पर है, उसका यह भी कहना है, कि इसके बाद रमेश और दामोदर ने उसे ट्रेक्टर से नीचे पटक लिया था, फिर वे सभी वहां से जाने लगे, तो जसवंतसिंह और अनिल मौके पर आ गए थे, जिन्होंने अपने नाम पते बताए थे और मौके पर ही उससे कहा था, कि वे घटना करने वाले आरोपियों को जानते हैं, जरूरत पड़े तो उनके नाम लिखा देना, फिर किसी राहगीर ने थाना मालनपुर जाकर सूचना दी होगी, फिर करीब 20 मिनट बाद मालनपुर पुलिस मौके पर आई थी और उसे घायल अवस्था में गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई थी, उसके ट्रेक्टर को भी थाना मालनपुर लाई थी, इसके बाद पुलिस ने उसे जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर भेजा था, जहां तीन-चार दिन उसका इलाज हुआ था, उसके बाद वह अपने घर चला गया था, जिसके बाद पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, न आरोपियों को पकड़ा, तब उसने प्राइवेट इस्तगाशा प्राइवेट बकील करके प्र0पी0-06 का करवाया था, उसका यह भी कहना है, कि

पुलिस मौके पर गई थी और प्र०पी०-०७ का नक्शा मौका भी बनाया था।

38. रामनिवास अ०सा०-०४ के द्वारा इस प्रकार से घटनास्थल पर ही घटना के तत्काल बाद जसवंत सिंह और अनिल का आना बताया गया है, अनिल ड्राइवर होकर ब्राह्मण जाति का है, हालांकि वह सिंह बताता है, जसवंत के बारे में ऊपर लिखा जा चुका है, फरियादी के पैरा-०३ मुताबिक घटना के बाद जब आरोपीगण स्वतः जाने लगे तब जसवंत और अनिल का आना कहा गया है, जबकि अनिल अ०सा०-०५ जिसे अविश्वसनीय साक्षी ठहराया जा चुका है, वह अपने अभिसाक्ष्य में पूरी घटना मौके पर रहते हुए देखना बताता है, जसवंत तो साक्ष्य देने ही नहीं आया है, प्र०पी०-०६ का परिवाद में जो कि घटना घटित होने के करीब एक माह से अधिक समय पश्चात प्राईवेट अधिवक्ता नियुक्त कर तैयार कराके पेश किया गया है, उसमें जसवंत सिंह और अनिल का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में स्पष्ट नाम नहीं लिखाया गया है, रास्तागीरों के आने पर उन्हें देखकर आरोपीगण का भाग जाना लिखाया गया है, इसी प्रकार प्र०पी०-०५ एफ०आई०आर० में भी लिखाया गया है, जबकि यदि जसवंत सिंह और अनिल शर्मा मौके पर थे और उन्होंने घटना देखी थी, तथा उन्होंने साक्षी के तौर पर घटना का समर्थन करने का फरियादी को आश्वासन दिया था, तो फिर प्र०पी०-०५ की एफ०आई०आर० में और प्र०पी०-०६ के परिवाद में उनका नाम न लिखाए जाने का कोई कारण अभिलेख पर स्पष्ट रूप से नहीं आया है, प्रकरण में तीन स्तर की जांच पुलिस विभाग द्वारा की गई थी, सर्वप्रथम जांच एफ०आई०आर० लिखने वाले थाना प्रभारी निरीक्षक जगराम सिंह कुशवाह अ०सा०-०६ के द्वारा की गई, जिसकी शिकायत होने पर पुलिस अधीक्षक भिण्ड के द्वारा एस०डी०ओ०पी० मेहगांव मोहनलाल को विवेचना दी गई, उसके पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देशमुख द्वारा भी जांच की गई, इन जांचों में जो तथ्य आए हैं, उनको भी रामनिवास के अभिसाक्ष्य के मूल्यांकन में अवलोकन में लेना होगा।

39. एफ०आई०आर० प्र०पी०-०५ के लेखक जगराम सिंह कुशवाह अ०सा०-०६ ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी रामनिवास का थाने अकेले आना बताया है, जबकि स्वयं रामनिवास अ०सा०-०४ पैरा-०४ में यह बताता है, कि किसी राहगीर ने थाना मालनपुर में सूचना दी थी, उसके बीस मिनट बाद पुलिस मौके पर आई थी और उसे घायल अवस्था में थाने लाई थी, जबकि एफ०आई०आर० लेखक अ०सा०-०६ रामनिवास को मौके से थाने लाने की बात का समर्थन नहीं करता है, इसके अलावा रामनिवास अ०सा०-०४ अनिल शर्मा की जीप से रिपोर्ट के लिए जाने की बात का खण्डन पैरा-१३ में कर रहा है, जबकि उसके परिवाद के संबंध में धारा-२०० दं०प्र०सं० के तहत दिए मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए जांच कथन में वह मौके से चार आरोपीगण के भाग पर अनिल शर्मा की जीप से थाना मालनपुर आना बताता है, जैसा कि धारा-२०० दं०प्र०सं० के जांच कथन प्र०डी०-०३ के ए से ए भाग में अंकित है, अर्थात् फरियादी के थाने पहुंचने के बिन्दु पर ही तीन प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर है, जिससे संदेह की स्थिति निर्मित होती है।



40. रामनिवास अ0सा0-04 के मुताबिक जसवंतसिंह और अनिल ने मौके पर पूरा परिचय देते हुए, जो गवाह के रूप में समर्थन करने की बात बताई है, यह बात मुख्यपरीक्षण के अलावा और किसी भी स्तर पर नहीं आई है, तथा इस बात का समर्थन परीक्षित साक्षी अनिल अ0सा0-05 ने भी नहीं किया है, कि उसने मौके पर अपना पूरा परिचय देते हुए, गवाह के रूप में नाम बताने पर समर्थन की बात कही हो, तथा यदि वास्तव में उक्त दोनों साक्षी मौके पर उपस्थित होते, तो फिर उनके नाम एफ0आई0आर0 में और परिवादपत्र में आने चाहिए थे, हालांकि रामनिवास के पुलिस कथन प्र0डी0-01 एवं प्र0डी0-02 में जसवंतसिंह और अनिल के बारे में यह तथ्य आया है, कि थाने पर घबराहट में था, इस कारण उनके नाम नहीं लिखा पाया था, प्र0डी0-01 में इस बात का भी उल्लेख है, कि घटना के समय वह पूरी बांह की बनियान और बादामी रंग की कमीज पहने था और गोली बांह में लगी थी, खून से कपड़े बिगड़े थे, जो डॉक्टर ने जब्त किए थे, डॉक्टर ने उसका बयान भी लिया था, और उससे यह नहीं पूछा था, मौके पर कौन-कौन था, इसलिए उसने किसी का नाम नहीं लिखाया था, हालांकि डॉक्टर द्वारा लिखा गया बयान अभिलेख पर नहीं है।

41. थाने पर घबराहट होने की बात को माना जा सकता है, किंतु मौके पर ही उक्त दोनों साक्षी जसवंतसिंह और अनिल ने अपना पूरा परिचय दिया, जिनके बारे में वह प्र0डी-01 में पूर्व से जान पहचान होने की पुष्टि भी करता है, उनके नाम लिखाए जा सकते थे, क्योंकि प्र0डी0-01 में यह उल्लेख है, कि जसवंतसिंह सिकरवार को वह इसलिए जानता है, कि वह पत्थर डालता रहता था, इस कारण उसकी पहचान हो गई थी और अनिल शर्मा एण्डौरी का होकर जीप चलाता है, उसके चाचा का लडका भी मेटाडोर चलाता है, दोनों में मनप्रेम होने से उसकी जान पहचान हो गई थी, यदि इस बात को माना जाए तो वह उक्त दोनों साक्षी जसवंत और अनिल शर्मा से पूर्व से परिचित था, ऐसे में अ0सा0-04 के रूप में दिए गए न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मुख्यपरीक्षण के पैरा-03 में, दोनों साक्षियों के द्वारा अपना पूरा नाम पता बताए जाने का तथ्य घटना के बिकासक्रम में दिया जाना परिलक्षित होता है, क्योंकि यह तथ्य ओर कहीं नहीं आया है और उससे ऐसा भी आभास मिलता है, कि दोनों साक्षियों को स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी के रूप में ग्रहण किए जाने की फरियादी मनःस्थिति रखता है, यह बिन्दु इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्वीकृत तौर पर आरोपीगण और फरियादी पक्ष के मध्य कई प्रकार की रंजिश चली आ रही है, जिसमें कृषि भूमि के क्रय बिक्रय को लेकर 40,000/-हजार रूपए के लेनदेन पर से विवाद की स्थिति है, वहीं दूसरी ओर राजनैतिक बुराई थी बताई गई है, तथा आशाराम की पत्नी रूपाबाई से बलात्संग का झूठा मामला भी आरोपीगण द्वारा षणयंत्र करके लगाया जाना और उसमें फरियादी रामनिवास और उसके परिजनो को भी संलिप्त करके अभियोजित कराए जाने का तथ्य आया है, जैसे कि प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 लगायत पैरा-10 में भी तथ्य प्रकट हुए हैं, जिन्हें देखते हुए रंजिश का बिन्दु बचाव पक्ष के आधार को बाल देता है, क्योंकि रामनिवास पूर्व में अभियोजित रह चुका था और उसके मन में बदले की भावना संभावित है।

42. रामनिवास अ0सा0-04 थाना मालनपुर में रिपोर्ट के बाद पुलिस द्वारा जे0ए0एच0 अस्पताल ग्वालियर मेडीकल को भेज दिया जाना और तीन-चार दिन वहां भर्ती रहना कहता है और घटनास्थल का नक्शा मौका भी उसके सामने पुलिस द्वारा बनाया जाना कहता है, प्र0पी0-07 के नक्शे मौके का अवलोकन करने पर वह दिनांक 06/01/2000 के अ0सा0-06 के द्वारा फरियादी की निशांदाही पर तैयार करना कहा गया है और क्रमांक 02 से ट्रेक्टर के खड़े होने की स्थिति बताई गई है, कि क्रमांक 02 वाले स्थान पर ट्रेक्टर खड़ा हुआ है, जबकि रामनिवास पैरा-04 में पुलिस की जीप से थाना मालनपुर आने के बाद उसके ट्रेक्टर को भी थाने पर लाया जाना कहता है, उसके बाद थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी, अर्थात् उसके मुताबिक घटना दिनांक को ही ट्रेक्टर थाने पर आ गया, जबकि जो मूल घटना बताई गई है, उसमें आरोपी बंटी उर्फ योगेन्द्र के द्वारा सबसे पहिले स्कूटर को ट्रेक्टर के आगे लगाकर ट्रेक्टर की चाबी छीनकर ट्रेक्टर को बंद कर देना कहा गया है और मौके पर घायल होने के पश्चात चारों का भाग जाना बताया है, ऐसे में ट्रेक्टर किस माध्यम से मौके से थाने पर आया इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, कि ट्रेक्टर कौन लाया कैसे लाया, ट्रेक्टर के बारे में अ0सा0-04 के पैरा-14 में भी यह कहा गया है, कि पुलिस उसे जीप में बिठाकर थाने लाई थी, ट्रेक्टर को पीछे-पीछे ही थाने लेकर पहुंचा गया था, यदि यह बात मानी जाए तो प्र0पी0-07 के नक्शा मौका में क्रमांक 02 पर अंकित यह बिन्दु कि घटना के चार दिन बाद दिनांक 06/01/2000 को भी नक्शा मौका बनाते समय ट्रेक्टर मौके पर ही खड़ा हुआ दर्शाया गया है, वह गलत हो जाता है और एफ0आई0आर0 लेखक पुलिस जीप से फरियादी के आने का समर्थन नहीं करता है, ट्रेक्टर से पैदल और अकेले आने की बात बताता है, और नक्शा मौका चार दिन बाद तैयार होना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि जहां मूल घटना में गोली मारी गई हो, फरियादी चोटिल हुआ हो, पहने कपड़े रक्तरंजित हुए हों, मौके पर ट्रेक्टर पर भी ऐसे में खून के चिन्ह मिलना चाहिए थे, इस दृष्टि से तो घटनास्थल पर से यदि फरियादी अकेला थाने आया था तो उसके तत्पश्चात मौके पर जाकर घटनास्थल पर साक्ष्य का संकलन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है और प्र0पी0-07 में अंकित यह नोट की अन्य साक्ष्य योग्य कोई चिन्ह नहीं पाए गए, यदि 06 तारीख तक ट्रेक्टर मौके पर ही खड़ा रहा था, तो उस पर चिन्ह मिल सकते थे, ऐसे में नक्शे मौके की कार्यवाही उचित रिति से होना दर्शित नहीं होती है।

43. ऐसी स्थिति में मामले की जांच आरोपी की शिकायत के पश्चात पुलिस अधिक्षक द्वारा एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव को विवेचना को सौंपी गई और तत्कालीन एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव एम0एल0 शर्मा जिसने बचाव साक्षी क्रमांक 02 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया है, उसने पैरा-02 में यह स्पष्ट रूप से कहा है, कि फरियादी रामनिवास ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए कृत्रिम अपराध की रचना कर थाना मालनपुर पर रिपोर्ट की थी, जो उसने अपनी जांच में पाया था और मेडीकल रिपोर्ट देखते हुए प्रकरण में खारिजी भेजी जाने में वैधानिक अडचन थी, इसलिए खात्मा प्रतिवेदन भेजा जाना उचित पाया था और संपूर्ण जांच के आधार पर उसने प्र0डी0-9ए की रिपोर्ट तैयार की थी, बचाव साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया है, कि तत्कालीन एडीशनल एस0पी0 श्री देशमुख द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को भी उसने अपनी जांच में शामिल किया था, बचाव साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां अपराध घटित न होना पाया जाता है, वहां खारिजी लगाई जाती है और जहां आरोपी अज्ञात हो या साक्ष्य की पूरी श्रृंखला नहीं जुड़ रही हो वहां खत्मा पेश किया जाता है, तथा उसे जांच में प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं मिली थी, इसलिए खत्मा लगाया गया था, तथा उसने एडीशनल एस0पी0 श्री देशमुख की प्र0डी0-10ए की जांच रिपोर्ट को अपनी जांच का आधार बनाए जाने से स्पष्टतः इन्कार कर, यह कहा है, कि स्वतंत्र रूप से जांच कर रिपोर्ट दी है और यह भी स्वीकार किया, कि प्र0डी0-09ए की जांच रिपोर्ट में उसने पूर्व रहे विवेचक जगराम सिंह थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा की गई जांच से सहमत न होने की टीप नहीं लगाई है, यह टीप लगाई जाना वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है, क्योंकि साक्षी अपनी जांच रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से की गई जांच पर आधारित बताता है।

44. तत्कालीन थाना प्रभारी जगराम सिंह के विरुद्ध कोई विभागीय न होने और प्र0डी0-09ए तथा प्र0डी0-10ए की रिपोर्ट में जगराम सिंह के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टीका टिप्पणि न किया जाना साक्षी ब0सा0-02 ने बताया है, अभियोगी की ओर से इसी आधार पर एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव की जांच रिपोर्ट को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है, किंतु यह तर्क इसलिए स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, कि एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव या तत्कालीन एडीशनल एस0पी0 श्री देशमुख द्वारा जो जांच की गई वह घटना के बारे में की गई थी और तत्कालीन थाना प्रभारी जगराम सिंह के विरुद्ध जांच करने का निर्देश होने की परिस्थिति अभिलेख पर नहीं है, ऐसे में प्र0डी0-09ए और प्र0डी0-10ए में प्रथम विवेचक जगराम सिंह कुशवाह थाना प्रभारी मालनपुर के विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी न होने या विभागीय जांच न होने के आधार पर पश्चात्तवर्ती विवेचना को असत्य मानकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, किसी थाना प्रभारी से विवेचना वापिस ले ली जाना भी उसके विरुद्ध ही जाती है, ऐसे में प्र0डी0-09ए और प्र0डी0-10ए के संबंध में ब0सा0-02 की साक्ष्य प्रकरण के लिए सुसंगत है, जिससे परिवाद मुताबिक बताई गई मूल घटना जिसके संबंध में परिवादी रामनिवास अ0सा0-04 की अभिसाक्ष्य आई है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

45. रामनिवास अ0सा0-04 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-05 के जांच कथनों के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया है, केवल यह कहा है, कि रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा, न ही कोई सुनवाई की, इसलिए परिवाद करना पड़ा, प्र0डी0-02 के रूप में जो पुलिस जांच कथन दिनांक 06/01/2000 का है, उसमें रामनिवास अ0सा0-04 ने ए से ए भाग की लिखाने से इन्कार किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है, कि एक जमीन का सौदा किया था और उस सौदे में उसके तीस-चालीस हजार रूपए रह गए थे, जिसके संबंध में पैरा-09 एवं 10 में तथ्य आए हैं और उसके आधार पर रंजिश बताई गई है, जबकि वह उक्त तथ्यों से इन्कार कर रहा है, इसी

प्रकार प्र0डी0-01 के पुलिस कथन के ए लगायत सी भागों से भी उसकी इन्कारी आई है, प्र0डी0-01 के ए से ए भाग में यह तथ्य प्रकट हुआ था, कि रामनिवास ने रामगोविंद से जमीन खरीदने के लिए बैजनाथ को बीच में लेकर नब्बे हजार रूपए उसने व उसके चचेरे भाई पप्पू ने दिए थे, और बी से बी भाग में यह तथ्य आया है, कि वह जमीन रामगोविंद ने उसे नहीं दी अर्थात् पूर्व से गंभीर पुरानी रंजिश भी है।

46. रामनिवास अ0सा0-04 अपने अभिसाक्ष्य में जसवंतसिंह और अनिल के संबंध में यह बताता है, कि वह मौके पर थे और उन्होंने घटना देखी है, जबकि प्र0डी0-01 के सी से सी भाग में यह उल्लेख है, कि उक्त दोनों के आने के पहिले रामनिवास बगैराह हाल ही चले गए थे, जो वह पुलिस को लिखाने से इन्कार करता है, प्र0डी0-05 के कथन में वह एमएट्टी पर जसवंतसिंह सिकरवार को ग्वालियर तरफ से आना और अनिल शर्मा का जीप से मेहगांव तरफ से आना उल्लेखित है, जिन्हें वह कहीं अपरिचित बताता है, कभी पूर्व से परिचित बताता है, और अ0सा0-04 का जो न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आया है, उससे तो दोनों साक्षी पूर्व परिचित और हितबद्ध होने के आधार पर तैयार किया जाना परिलक्षित होता है, हालांकि वह उनसे संबंधित तथ्य पर भी विरोधाभाषी है, यह भी रामनिवास अ0सा0-04 जिसकी एकल अभिसाक्ष्य विश्लेषण को शेष रही है, उसके बारे में संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि जहां मामला एकल साक्ष्य पर आधारित हो, वहां तात्त्विक स्वरूप के कोई विरोधाभाष विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

47. प्र0पी0-07 का नक्शा मौका दिनांक 06/01/2000 में तो मौके पर ट्रैक्टर खड़ा होना अंकित है, जबकि अ0सा0-04 पैरा-14 में उसे गलत लिखा जाना कहता है, उक्त मामले में चार आरोपी अभियोजित किए गए हैं और जो अभी तक साक्ष्य का विश्लेषण हुआ है, उसके मुताबिक रामनिवास को केवल एक ही गोली बाई बांह में मांसपेशी में ही लगी थी और कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई और बैजनाथ के अलावा शेष आरोपीगण धारा-34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियोजित किए गए हैं और धारा-34 भा0द0वि0 के तहत जो सामान्य आशय परिभाषित है उसके प्रमाण हेतु मुख्य रूप से दो संघटक का प्रमाणित होना आवश्यक है पहला- सामान्य आशय तथा दूसरा- सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए कार्य में भाग लेना। उक्त प्रावधान के सिद्धांत मुताबिक जब एक बार अपराध को कारित करने में भागीदारी स्थापित हो जाती है तब उक्त प्रावधान आकर्षित हो जाते हैं। आपराधिक दायित्व का सामान्य नियम यह कहता है कि उस व्यक्ति का यह प्राथमिक दायित्व है जिसने वास्तव में अपराध कारित किया है और उसी व्यक्ति को जिसने अपराध कारित किया है दोषी ठहराया जा सकता है, परंतु संयुक्त दायित्व का ठहराव इस बिन्दु पर होगा जब कई व्यक्तियों का सामान्य आशय एक ही प्रकार का रहा हो।

48. धारा 34 भा.दं.वि. अर्थान्वयन में अभिव्यक्ति "सामान्य आशय" पूर्व नियोजित योजना को विवक्षित (एम्पलाइड) करती है। इस धारा को लागू कर के



किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि सम्बद्ध आपराधिक कृत्य पूर्वन्योजित योजना के अनुपालन में मिलकर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **कृष्णनन विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला ए.आई.आर. 1997 एस.सी. पे 383** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 34 भा.दं.वि. को लागू करने के लिए अभियुक्त द्वारा किसी खुले कृत्य (ओवर एक्ट) को करना विधि की अपेक्षा में नहीं है, क्योंकि उक्त उपबंध तुरन्त उस क्षण गति में आ जाता है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को अग्रसरण करने में किया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो और उक्त उपबंध को लागू करने के लिए अभियोजन को केवल इतना स्थापित करना होगा कि सभी संबंधित व्यक्ति सामान्य आशय के भागीदार थे और न्यायालय की संतुष्टि सामान्य आशय की भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।

49. सामान्य आशय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **ललाई वि० स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1974 एस.सी. पे. 2118** में यह प्रतिपादित किया है कि सामान्य आशय का सीधा साक्ष्य जुटाना कठिन है। सामान्य आशय का अनुमान प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से निकाला जा सकता है जो कि अपराध करने का समय, घटनास्थल, अभियुक्तों के हथियार, उनमें परस्पर संबंध तथा अपराध करने में उनकी मिलकर की गई कार्यवाही सुसंगत तथ्य होते हैं, जिन पर विचार कर के सामान्य आशय के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।

50. इस दृष्टि से रामनिवास अ०सा०-04 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने बंटी के द्वारा ट्रेक्टर के आगे स्कूटर लगाकर ट्रेक्टर की चाबी खींचकर ट्रेक्टर बंद कर देना, बैजनाथ के द्वारा गोली मारना, रमेश और दामोदर के द्वारा नीचे पटक देना ही मुख्य परीक्षण में बताया है, परिवाद मुताबिक यह तथ्य नहीं बताया है, कि रमेश ने उसकी कमीज पकड़ी तो वह ट्रेक्टर की तरफ छिप गया और न ही प्र०पी०-05 की एफ०आई०आर० मुताबिक यह बात आई है, कि दामोदर और रमेश ने मोटरसाइकिल से आकर ऐसा कहा हो कि बच न पाए और रमेश ने उसकी कमीज पकड़ी हो, तब वह ट्रेक्टर की तरफ छिप गया हो, बल्कि वह तो दामोदर और रमेश के द्वारा ट्रेक्टर से नीचे पटक देने की बात कहता है, इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण को देखा जाए तो पैरा-16 में गोली उसे जैसे ही लगी, वैसे ही रमेश ने उसकी शर्ट पकड़कर खींचा तो वह नीचे गिर पड़ा और रमेश ने कहा था, कि इसे जान से मारो उसके एक दो मिनट बाद अनिल और जसवंत सिंह आए थे, तब तक आरोपी भागे नहीं थे, इससे भी अनिल और जसवंत घटना घटित होने के बाद संयोगी (Chance witness) के रूप में बताए गए हैं, तथा पैरा-17 में वह यह कहता है, कि गोली लगने के बाद अपनी सीट से नीचे गिरा और ट्रेक्टर के बड़े पहिए के बगल में छिप गया था और उसे आरोपीगण मरा समझकर छोड़ गए थे, यह तथ्य भी अन्य कहीं अर्थात् प्र०पी०-05, प्र०पी०-06 के परिवाद एवं प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-05 के कथनों में नहीं आया है, यह भी

फरियादी द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बिकास करते हुए बताया जाना परिलक्षित होता है।

51. सामान्य आशय के बिन्दु पर रामनिवास अ0सा0-04 ने पैरा-22 में यह कहा है, कि घटना घटित होने में 10-15 मिनट का समय लगा होगा और 10-15 मिनट तक चारों आरोपी घटनास्थल पर ही रहे थे, एक गोली के अलावा माउजर से अन्य कोई फायर नहीं किया था, स्वतः में यह कहा है, कि अन्य लोग आ गए थे, इसलिए फायर नहीं किया था, और जो लोग मौके पर आए थे उन्होंने बंदूक की नली नहीं पकड़ी थी तथा आरोपी चाहते तो फायर कर सकते थे, धारा-200 द0प्र0सं0 के जांच कथन में वह यह भी स्वीकार करता है, कि रामनिवास और दामोदर दोनों ने आकर उसे नहीं पकड़ा था, रमेश ने उसकी कमीज पकड़ी थी, यही बता बताई थी, दोनों के द्वारा पकड़ना नहीं बताया था, यही प्र0डी0-05 में भी बताया था।

52. इस प्रकार से जहां एक ओर गंभीर पुरानी कई बिन्दुओं की रंजिश पर से घटना अकेले पाकर आरोपीगण द्वारा घटित करना फरियादी प्रकट करता है और मौके पर 10 से 15 मिनट आरोपीगण की उपस्थिति बताता है, जिसके दौरान यदि वे चाहते तो और भी प्रहार कर सकते थे, किंतु एक गोली चलाने के अलावा और किसी भी प्रकार की घटना नहीं बताई गई है, रमेश के बारे में यह तथ्य कि, उसने शेष आरोपीगण या बैजनाथ से कहा हो, कि बच न पाए यह जान से मारो, इस बारे में साक्षी के अभिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, दामोदर का तो किसी भी प्रकार का कोई कृत्य (ओवर एक्ट) ही नहीं बताया गया है, बंटी उर्फ योगेन्द्र के द्वारा केवल ट्रेक्टर की चाबी खींचना कहा है, जबकि यदि यह माना जाए कि आरोपीगण के द्वारा रंजिश के आधार ही घटना को कारित किया गया तो फिर चारों आरोपियों के पास पर्याप्त समय, अवसर व परिस्थितियां ऐसी थीं, जिनमें यदि वे चाहते तो और भी गोली मार सकते थे, जबकि उनकी उपस्थिति बिल्कुल निकट है, इससे भी तत्कालीन एस0डी0ओ0पी0 एम0एल0 शर्मा ब0सा0-02 का यह अभिसाक्ष्य कि फरियादी रामनिवास ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए कृत्रिम अपराध की रचना की उसे ही बल मिलता है।

53. ऐसे में एम0एल0 शर्मा ब0सा0-02 द्वारा खत्मा प्रतिवेदन संबंधी रिपोर्ट का दिया जाना विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता है और प्रकरण में अपराध का संज्ञान परिवाद पर से हुआ हुआ, न कि खत्मा प्रतिवेदन निरस्त करते हुए संज्ञान लिया गया है, उसे शामिल अवश्य किया गया है, क्योंकि वह इसी अपराध से संबंधित कार्यवाही थी, ऐसे में सामान्य आशय के प्रमाण में आवश्यक अवयवों की पूर्ति रामनिवास अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य से कतई नहीं होती है और बचाव पक्ष की ओर से इस आशय की भी साक्ष्य अभिलेख पर दी गई है, कि वे बताई गई घटना के समय बताए गए घटनास्थल पर न होकर अन्यत्र थे, अर्थात् उनके द्वारा Plea of Alibi ली गई है, जिसके संबंध में बचाव साक्ष्य भी पेश की है, जिसमें बंटी उर्फ योगेन्द्र के संबंध में दिनेश शर्मा ब0सा0-01 का अभिसाक्ष्य कराया गया है, जिसने पड़ोसी होने के नाते बंटी उर्फ योगेन्द्र का उसके घर पर मौजूद रहते हुए टी0व्ही0 पर पिक्चर देखना शाम 04 से 07 बजे की अवधि में

बताया है और उक्त बचाव साक्षी का घर केशव कॉलोनी मुरैना में है।

54. आदिराम ब0सा0-03 और रंजीत सिंह ब0सा0-06 ने अपने-अपने अभिसाक्ष्य में घटनास्थल के आस-पास अपनी कृषि भूमि बताते हुए तत्समय गेहूं की फसल खेत में लगी होना और उसमें पानी लगाने के लिए अपनी-अपनी उपस्थिति बताते हुए, बंदूक से गोली चलने की कोई आवाज सुनने से इन्कार कर ट्रेक्टर वाले को रोड पर घायल अवस्था में देखने से इन्कार किया है, इसके अलावा अशोक अर्गल जिसकी हैसियत जनप्रतिनिधि की है, उसने बैजनाथ आरोपी के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 02/01/2000 को अपने राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता के खजुराहो नामक मुरैना स्थित होटल में राजनैतिक पार्टी के वार्तालाप के लिए अन्य नेताओं के साथ उपस्थित थे और बैजनाथ भी उनके साथ था, जिसके संबंध में उनका प्र0पी0-11 का प्रमाणीकरण भी दिया है, जिसका कोई जावक आवक नंबर नहीं है, तथा उसके आधार पर बचाव साक्ष्य को न भी माना जाए तब भी अभियोगी की साक्ष्य इतनी अधिक और गंभीर विरोधाभाषों से परिपूर्ण है, जिससे आरोपीगण की घटना में संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न है, हालांकि बचाव साक्षी के बारे में यह सामान्य नियम है, कि बचाव साक्ष्य को भी अभियोजन साक्ष्य की तरह ही ग्रहण किया जाना चाहिए, केवल इस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह बचाव पक्ष की ओर से पेश की गई है, तथा यदि ऐसा मान भी लें कि आदिराम और रंजीतसिंह के खेत हाइवे से दूर थे, और वे अपने काम में मशगूल रहे होंगे, इसलिए उनका ध्यान सड़क तरफ नहीं रहा होगा, हालांकि वह हाइवे से लगी हुई अपनी जमीन बताते हैं, यदि उन्हें अग्राह भी कर दिया जाए तब भी प्रमाण भार अभियोजन पर होता है, इसलिए बचाव साक्ष्य पेश करने की दशा में प्रमाण भार अंतरित नहीं होगा।

55. आरोपी रमेश के संबंध में महेश शर्मा ब0सा0-05 ने भी अन्यत्र होने के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी है, कि जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस समय रमेश शर्मा जिसके मकान में वह किराए से कई वर्ष रह चुका है और अच्छे संबंध है, उस सहित अपने सहकर्मी यशपाल सिंह जाट के यहां था, जिसने टी0आर0 पुरम कालोनी मुरैना में नया मकान बनबाया था, और ग्रह प्रवेश था जिसमें वह दिन के 12 बजे से रात के 09 बजे तक सम्मिलित रहा था, अर्थात् रामनिवास भी अन्यत्र बताया गया है, हालांकि ग्रह प्रवेश में जितने लोगों की उपस्थिति और जो धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है, उसे देखते हुए दिन के 12 बजे से रात के 09 बजे तक सम्मिलित बने रहना तो स्वभाविक नहीं माना जा सकता, हालांकि रामनिवास अ0सा0-04 ने उक्त आरोपीगण की अन्य स्थानों पर उपस्थिति से इन्कार अवश्य किया है, किंतु रामनिवास जिसकी किसी भी साक्षी से पुष्टि नहीं है, उसके अभिसाक्ष्य के विरोधाभाषों को देखते हुए और सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों की पूर्ति न होना देखते हुए आरोपीगण का घटना में शामिल होना ही संदिग्ध हो जाता है, इस दृष्टि से यदि बचाव साक्ष्य को मूल्यांकन में न भी ले तब भी अ0सा0-04 की एकल साक्ष्य से घटनाक्रम, घटना की परिस्थितियां कड़ी के रूप में जुड़ कर विश्वसनीय साक्ष्य से समर्थित होना

परिलक्षित नहीं होती है।

56. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **प्यारेलाल विरुद्ध शंकरदास 1972 किमिनल लॉ जनरल पेज-185 (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)** प्रतिपादित सिद्धांत प्रयोज्य किए जाने योग्य है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, यदि घटना में आग्नेय शस्त्र का प्रयोग बताया गया हो और एक ही गोली शरीर पर पाई गई हो, तो वह अपने आप में धारा-307 भा0द0वि0 को सिद्ध नहीं करती है, बल्कि उसे आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोट प्रमाणित करना आवश्यक है, साथ ही जान से मारने का आशय था यह भी प्रमाणित करना आवश्यक है, उक्त न्याय दृष्टांत में यह भी बताया गया है, कि यदि साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां हैं तो अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जाएगा और चोट की प्रकृति चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित करनी होगी तथा न्याय दृष्टांत **पंकज एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 2016 किमिनल लॉ रिफेंसर पैज-944 (एस0सी)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि जहां मौके पर चक्षुदर्शी साक्षी की उपस्थिति संदिग्ध हो, रक्तरंजित कपड़े बरामद नहीं हुए हों चिकित्सक द्वारा आरोपी और आहत के बीच की दूरी बताई गई हो, आरोपी के द्वारा गोली मारने का तथ्य न हो, हेतुक भी प्रमाणित न हो, तो मामला संदिग्ध होगा, जबकि विचाराधीन मामले में न तो आरोपीगण की उपस्थिति सुदृढ साक्ष्य से प्रमाणित है, न ही सामान्य आशय प्रमाणित हुआ है, इसलिए केवल चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर आहत रामनिवास को चोट आग्नेय शस्त्र से पहुंचने के आधार पर ही उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, कि वह आरोपी बैजनाथ के द्वारा ही पहुंचाई गई, जिसमें अन्य आरोपीगण का सामान्य आशय के तहत घटना कारित करने में सक्रिय सहयोग रहा हो।

57. रामनिवास अ0सा0-04 के पैरा-17 में यह भी स्वीकारोक्ति आई है, कि जब गोली लगी थी, उस समय वहां कोई नहीं था, यह बात उसने डॉक्टर को प्र0डी0-04 में बताई थी और गोली लगने के बाद अपनी शीट से नीचे गिरा और बड़े पहिए के बगल में छिप गया बताया था, रामनिवास के पैरा-18 में अस्पताल से अपनी मर्जी से चले जाने से इन्कार करता है, जबकि इस बिन्दु पर चिकित्सक की साक्ष्य को देखा जाए तो इस संबंध में डॉक्टर अचल गुप्ता जिसके सर्जरी विभाग में वह भर्ती रहा उसने स्पष्ट रूप से कहा है, कि रामनिवास अपनी मर्जी से अस्पताल से छुट्टी लेकर चला गया था और डॉक्टर ए0के0 बोहरे अ0सा0-01 और डॉक्टर अचल गुप्ता अ0सा0-02 दोनों के मुताबिक ही आहत की चोट साधारण थी, ऐसे में उसका अपनी मर्जी से अस्पताल से चला जाना भी फरियादी की मनःस्थिति कृत्रिम अपराध की रचना कर रिपोर्ट कराने के लिए दर्शित होती है, जैसा कि ब0सा0-02 के जांच उपरांत प्र0डी0-9ए के प्रतिवेदन में आया है, जिसे देखते हुए अ0सा0-06 जगराम सिंह से एम0एल0 शर्मा ब0सा0-02 की अभिसाक्ष्य अधिक प्रबल है।

58. ऐसी स्थिति में अभियोगी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत यह तर्क कि एस0डी0ओ0पी0 एम0एल0 शर्मा की जांच एडीशनल एस0पी0



की रिपोर्ट से प्रभावित है, इसलिए उसका कोई विधिक मूल्य नहीं है और एफ0आर0 निरस्त की गई, तथा एम0एल0 शर्मा की कार्यवाही रजनैतिक दबाव में की गई है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तथा अभियोगी की ओर से किया गया यह तर्क कि घटना पूर्व नियोजित थी, यह भी परिस्थिति से प्रकट नहीं है, क्योंकि यदि पूर्व नियोजित घटना होती तो फिर आरोपी पर ऐसा समुचित अवसर था, कि वह अधिक गंभीर घटना कर सकता था, जबकि ऐसा नहीं है।

59. इस प्रकार से फरियादी रामनिवास अ0सा0-04 की अभिलेख पर आई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के आधार पर प्रकृतिक स्वरूप की नहीं है और गंभीर संदेहों से परिपूर्ण होने से वह किसी भी बिन्दु पर विश्वास योग्य साक्षी की श्रेणी में नहीं आता है, अन्य साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं पाई गई है, इसलिए युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है, कि दिनांक 02/01/2000 के शाम करीब सात सवा सात बजे मालनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत पाना नदी के पुल के पास गुरीखा चौराहे के मोड़ पर आरोपीगण ने फरियादी रामनिवास पर प्राणघातक उपहति करने के लिए आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया और उसके अग्रसरण में आरोपी बैजनाथ ने अपनी 315 बोर की माउजर बंदूक से उसे गोली मारी जो रामनिवास के बाएं हाथ के बाजू में मांसपेशियों में लगी, जिसमें अन्य आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में सक्रिय सहयोग किया। परिणामस्वरूप उपलब्ध साक्ष्य से मामला सिद्ध न होने से आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र है, अतः आरोपी बैजनाथ को धारा-307 भा0द0वि0 एवं शेष आरोपीगण रमेश, बंटी उर्फ योगेन्द्र एवं दामू उर्फ दामोदर को धारा-307/34 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

60. आरोपीगण का धारा-428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

61. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गये।

62. प्रकरण में कोई सम्पत्ति निराकरण के लिए पेश नहीं है।

63. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 29 दिसंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड